जनपद बाराबंकी

दिनांक 15.09.2021

03 वर्षीय बालक की हत्या कारित कर घर में छुपाने वाली महिला सहित 03 अभियुक्तों को 24 घण्टें के अन्दर थाना देवा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 14.09.2021 को वादी बछराज यादव पुत्र रामकुवर यादव निवासी तिगुर्जी मजरे टीपहार थाना देवा जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर सूचना दी गई कि उनका करीब 03 वर्षीय बेटा रोजमर्रा की तरह घर के बाहर खेल रहा था और कही गुम हो गया। काफी खोज-बीन की गयी परन्तु वह नही मिला । इस सम्बन्ध में थाना देवा पर मु0अ0सं0 343/2021 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा उक्त बालक की तत्काल बरामदगी के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ0 अवधेश सिंह के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री सीमा यादव के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक देवा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बालक की तलाश की जा रही थी तो इसी बीच पता चला कि 2-3 दिन पूर्व बच्चों को लेकर पड़ोस में रहने वाली मीरा से विवाद हुआ था । वादी द्वारा मीरा के ऊपर बच्चे को गायब कर देने का शक किया गया । इस पर पुलिस टीम द्वारा मीरा के घर की तलाशी ली गयी तो देखा कि कमरे के अन्दर जमीन ताजी खुदी हुई थी तत्पश्चात मिट्टी को हटाया गया तो उपरोक्त बालक का शव बरामद हुआ । पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में धारा 302/201 भादवि0 की बढ़ोत्तरी करते हुए आज दिनांक-15.09.2021 को अभियुक्तगण 1- मीरा उर्फ केतकी पत्नी प्रदीप कुमार यादव, 2. सर्बजीत यादव पुत्र दुबर निवासीगण तिगुर्जी मजरे टीपहार थाना देवा जनपद बाराबंकी, 3. रामआधार यादव पुत्र स्व0 गुरुचरन निवासी मेहरोड थाना देवा जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1- मीरा उर्फ केतकी पत्नी प्रदीप कुमार यादव निवासी तिगुर्जी मजरे टीपहार थाना देवा जनपद बाराबंकी

2. सर्बजीत यादव पुत्र दुबर निवासी तिगुर्जी मजरे टीपहार थाना देवा जनपद बाराबंकी,

3. रामआधार यादव पुत्र स्व0 गुरुचरन निवासी मेहरोड थाना देवा जनपद बाराबंकी

<u>पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धीरज कुमार थाना देवा जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 श्री त्रियुगी नरायण तिवारी थाना देवा जनपद बाराबंकी।
3. हे0का0 सुधाकर ओझा थाना देवा जनपद बाराबंकी।
4. का0 कृष्णकान्त पाण्डेय, का0 बालेन्द्र यादव थाना देवा जनपद बाराबंकी।
5. म0का0 आशारानी, म0का0 रीना थाना देवा जनपद बाराबंकी।